

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

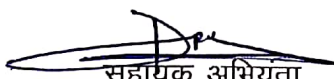
जोन-05 सेक्टर 06

नियम एवं शर्तें

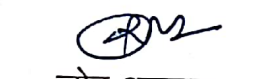
नगर पालिक निगम जोन-05 क्षेत्रांतर्गत शिविक सेंटर में ट्रैफिक पार्क स्थापित है, जिसके संचालन, संधारण, देखरेख, साफ-सफाई कार्य हेतु अधिक ऑफर के आधार पर इच्छुक संस्थान/एन.जी.ओ., समूह व एजेंसी जिसका रजिस्ट्रेशन हो, से रुचि की अभिव्यक्ति अंतर्गत ऑफर आमंत्रित की जाती है, जिसकी नियम एवं शर्तें निम्नानुसार हैं:-

1. आफरदाता को चार लिफाफा पद्धति में प्रस्ताव देना होगा, लिफाफा 'अ' में निर्धारित अमानत राशि रु. 20000.00 का एफ.डी.आर. (किरी भी राष्ट्रीकृत बैंक का) का जोन आयुक्त जोन-05 नगर पालिक निगम भिलाई के नाम पर एवं राशि रु. 5000.00 मात्र का किरी भी राष्ट्रीकृत बैंक का डी.डी. आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई के नाम से जमा करना होगा। लिफाफा 'ब' में एन.जी.ओ., समूह व एजेंसी का रजिस्ट्रेशन, व्यक्ति का पहचान पत्र व पता संबंधी दस्तावेज, स्वयं हस्ताक्षर का होना अनिवार्य एवं लिफाफा 'स' में ट्रैफिक पार्क के संचालन एवं रखरखाव संबंधित विस्तृत कार्ययोजना एवं अनुभव प्रमाण पत्र व लिफाफा 'द' में सभी अ, ब, स भरकर स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा।
2. ऑफर दाताओं से अपेक्षा की जाती है कि दर निर्धारण करने के पूर्व संबंधित ट्रैफिक पार्क का निरीक्षण कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर लें।
3. आफरदाता को प्राप्त दर की स्वीकृति होने की सूचना प्राप्ति के 07 दिनों के भीतर अनुबंध करना होगा। अनुबंध न करने की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम द्वारा ऑफर निरस्त किया जा कर अमानत राशि राजसात की जावेगी जिसमें सम्पूर्ण जवाबदारी आफरदाता की होगी। कार्यादेश प्राप्त होने के तत्काल बाद कार्य प्रारंभ करना होगा।
4. ट्रैफिक पार्क के रखरखाव का कार्य लगातार 35 माह के लिए एन.जी.ओ., दरदाता, समूह, व्यक्ति व एजेंसी को करना होगा। प्रथमतः 01 वर्ष के लिए अनुबंध किया जावेगा तत्पश्चात सफलतापूर्वक एवं संतोषजनक कार्य संपादन करने पर क्रमशः 02 बार वर्षवार अनुबंध का नवीनीकरण किया जा सकेगा।
5. उल्लेखित ट्रैफिक पार्क का संपूर्ण स्वामित्व नगर पालिक निगम भिलाई का होगा।
6. ट्रैफिक पार्क की परिसीमा में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
7. ट्रैफिक पार्क में विद्युत मीटर एवं विद्युत का समस्त भुगतान ऑफर दाता द्वारा स्वयं के व्यय से किया जावेगा।
8. ट्रैफिक पार्क के संधारण/संचालन रखरखाव साफ-सफाई एवं सौंदर्यीकरण के समस्त कार्य एजेंसी को स्वयं के व्यय पर करना होगा। जिसमें पृथक से कोई भुगतान नहीं किया जावेगा।
9. नगर पालिक निगम भिलाई के दिशा निर्देश, नियम एवं शर्तों के पालन हेतु एजेंसी बाध्य होगा।
10. ट्रैफिक पार्क में किसी भी प्रकार की असमाजिक गतिविधियां तथा कोई नशा इत्यादि वर्जित होगा एवं उपरोक्त किसी भी प्रकार की गतिविधि की स्थिति में आफरदाता स्वयं की जिम्मेदारी मानते हुए आवश्यक कार्यवाही करेगा।
11. कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार की दुर्घटना, जनधन की हानि की जिम्मेदारी स्वयं ऑफर दाता की होगी।
12. किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।
13. किसी भी प्रचार प्रसार होर्डिंग लगाने के पूर्ण जोन आयुक्त जोन क्र. 05 से अनुमति लेना अनिवार्य है।
14. ट्रैफिक पार्क परिसर में कोई भी अतिरिक्त निर्माण एवं विस्तारीकरण पूर्णतः वर्जित रहेगा।

15. ट्रैफिक पार्क परिसर में स्थित उद्यान का संधारण/रखरखाव संस्था को करना होगा। उक्त उद्यान पूर्णतः सार्वजनिक होगा एवं शासकीय कार्यक्रमों में अतिरिक्त किसी भी प्रकार के कार्यक्रम हेतु उपयोग में नहीं लिया जावेगा।
16. ट्रैफिक पार्क के परिसर के भीतर अधिकतम 02 गुगटी (size 2.5x2.5 = 6.25 sqm) का निर्माण एवं संचालन, ट्रैफिक पार्क के रखरखाव एवं आवश्यक संधारण हेतु किया जा सकेगा। यह निर्माण पूर्णतः अस्थाई होगा।
17. शैक्षणिक संस्थान एवं स्कूल ग्रुप बच्चों के लिए सुबह 6.00 बजे से 8.00 बजे तक प्रवेश निशुल्क रहेगा। इसके पश्चात् शैक्षणिक संस्थान एवं स्कूल ग्रुप के अतिरिक्त ट्रैफिक पार्क का एन्ट्री फीस (टिकट) अधिकतम 10.00 रु. संचालन एवं ट्रैफिक पार्क के रखरखाव हेतु लिया जा सकेगा।
18. कार्य का दायरा (Scope of Work) एजेंसी/आफरदाता हेतु निम्नानुसार होगा:-
 - a. पार्क का दैनिक संचालन और रखरखाव।
 - b. सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना।
 - c. स्कूलों और आम जनता के लिए शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित करना।
 - d. साइनबोर्ड, ट्रैफिक सिग्नल, मॉडल्स आदि की मरम्मत और देखभाल।
 - e. स्टाफ (प्रशिक्षक, सुरक्षा गार्ड, सफाई कर्मचारी) की तैनाती।
 - f. रिपोर्टिंग और आय-व्यय एवं संधारण का समस्त लेखा-जोखा।
19. ऑफरदाता द्वारा अधिकतम 02 होर्डिंग (साइज अधिकतम 5x1.2 मीटर) अधिकतम 03 मीटर ग्राउण्ड लेवल से उपर जोन आयुक्त की परमिशन से व्यवसायिक होर्डिंग लगा सकेगा। जिसमें कोई आपत्तिजनक विज्ञापन अमान्य रहेगा, आवश्यकतानुसार शासन से संबंधित योजनाओं का कम से 02 होर्डिंग विज्ञापन प्रदर्शन अनिवार्य होगा।
20. सार्वजनिक पार्क प्रबंधन या अन्य संचालन के संबंध विस्तृत कार्ययोजना एवं अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर एजेंसी को कार्य आबंटन में सर्वोच्च प्राथमिकता या वरीयता दी जावेगी।
21. ट्रैफिक पार्क में विद्युत खपत देयक भुगतान की संपूर्ण जिम्मेदारी एवं ट्रैफिक पार्क में स्थापित हर प्रकार के विद्युत से संबंधित उपकरणों की सुरक्षा संधारण की संपूर्ण जिम्मेदारी सफल ऑफरदाता एजेंसी को होगी।
22. वर्तमान में ट्रैफिक पार्क जैसे है वैसी स्थिति में बनाए रखना होगा।
23. समस्त विद्युत उपकरण, मैदान, पाथवे, मुन्नालय शौचालय, मैदान, बैठक व्यवस्था, कार्यालय इत्यादि, समस्त परिसम्पत्ति का नियमित संधारण किया जाकर यथावत बनाए रखना अनिवार्य होगा।


सहायक अभियंता
नगर पालिक निगम
भिलाई


कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम
भिलाई


जोन आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई